राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 20 (101/03) बजट/आकाशि/2020/62 दिनांक : 28.10.2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय
(पुरूष/महिला/विधि/टी.ए.डी)

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्यय अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 के संशोधित अनुमान के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक : एफ 20 (101/03) बजट/आकाशि/2020 /37 दिनांक 18.09.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्यय अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 के संशोधित अनुमान मे प्रस्तावित बजट राशि के सम्बन्ध में बकाया एवं देय दावों की सूची भी प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। लेकिन वांछित विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इस क्रम में निम्न सूचनाएं दिनांक 31.10.2020 तक ई–मेल cao.cce@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। **(उक्त सूचना में सम्पूर्ण बजट मद का उल्लेख किया जाये, तथा जो प्रावधान आपके द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है, उसमे अब नया नहीं जोडा जाना है। सिर्फ आपके द्वारा प्रस्तुत राशि का औचित्य प्रस्तुत किया जाना है)**

(1). यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता के बकाया दावों की सूची, इसमें यदि कोई गंभीर बिमारी से पीडित हो तो उसकी सूचना।

(2).कार्यालय व्यय में दावों/पुर्नभरण दावों के सम्बन्ध में सूचना।

(3). विस्तृत बजट मद 57–विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय के प्रस्तावित प्रावधान के सम्बन्ध में स्थाई एवं अस्थाई सम्बद्धता की राशि, इसमें यदि बकाया का पुर्नभरण छात्र निधि कोष में किया जाना है तो उसका विवरण और राशि की पूर्ण सूची।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 20 (101/03) बजट/आकाशि/2020/62 दिनांक : 28.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. वेबसाईट प्रभारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

वित्तीय सलाहकार